न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–842 / 2020(जीसीएमएस नम्बर 2020 / 00236)

1. श्रीमती तारा देवी बेवा रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 78, स्कीम नं0 3, वार्ड नं0 34, अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजरानी तथाकथित पत्नि रामनिवास, जाति कुमावत निवासी टाईगर कॉलोनी, मूंगसका, अलवर, राज।
2. हितेश तथाकथित पुत्र रामनिवास जाति कुमावत निवासी टाईगर कॉलोनी, मूंगसका, अलवर, राज।

––असल रेस्पोडेन्ट्स

3. श्रीमती विमला देवी पुत्री स्व. भगवान सहाय पत्नि राजेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी फौजी कॉलोनी, तहसील व जिला अलवर।
4. श्रीमती कान्ता पुत्री स्व. भगवान सहाय पत्नि कैलाश चन्द्र, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम उमरेण, तहसील व जिला अलवर।
5. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. भगवान सहाय जाति ब्राह्मण निवासी नया बेडीवाला कुंआ, पटेल नगर, मन्ना का रोड, अलवर, राजस्थान।
6. रमेश चन्द पुत्र स्व. भगवान सहाय जाति ब्राह्मण निवासी नया बेडीवाला कुंआ, पटेल नगर, मन्ना का रोड, अलवर, राजस्थान।
7. विजय कुमार पुत्र स्व. भगवान सहाय जाति ब्राह्मण निवासी नया बेडीवाला कुंआ, पटेल नगर, मन्ना का रोड, अलवर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 16.10.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट व तरतीबी–रेस्पोडेन्टान के पिता व ससुर का स्वर्गवास होने पर नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 29.05.1993 को नायब तहसीलदार, मालाखेडा द्वारा मु0 केसर बेवा भगवान सहाय, जगदीश प्रसाद, रमेशचन्द्र, रामनिवास, विजय कुमार पुत्रान भगवान सहाय, जाति ब्राह्मण निवासी ढाकपुरी, तहसील अलवर के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया। जिस निर्णय के विरूद्व तरतीबी–रेस्पोडेन्ट संख्या 3 और 4 ने अपील संख्या 11 / 45 / 12 न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के न्यायालय में दायर की। जो अपील दिनांक 08.01.2013 को स्वीकार करते हुए इन्तकाल संख्या 42 दिनांक 29.05.1993 न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेडा को निरस्त करते हुए

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नायब तहसीलदार, मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि भरभूटा व भगवान सहाय के समस्त जायज वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण पुनः निर्णित करे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा बिना किसी जांच व बिना किसी साक्ष्य के दिनांक 04.08.2020 को अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के साथ असल–रेस्पोडेन्ट को भी वारिस मानते हुए पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिला कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 08.01.2013 को निर्णय करते समय नामान्तरकरण की पत्रावली नायब तहसीलदार मालाखेडा को भूरभूटा व भगवान सहाय के समस्त वारिसान की जांच कर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित की थी लेकिन जिला कलक्टर अलवर के निर्णय की पालना नायब तहसीलदार द्वारा न करके तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेशों के विपरित है क्योंकि तहसीलदार मालाखेडा को जिला कलक्टर अलवर के द्वारा तो कोई आदेश नामान्तरकरण के निर्णय करने के संबंध में नहीं दिये गये थे उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भगवान सहाय के वारिसों की वास्तविक जांच भी नहीं की गई क्योंकि तहत न्यायालय के समक्ष जगदीश प्रसाद, विमला देवी, हुक्म पुत्र छोटेलाल, भरतसिंह पुत्र राजाराम, छोटेलाल पुत्र अजिराम, विजय कुमार आदि के बयान कराये गये थे जिन्होंने अपने सधर्म बयान में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट राजरानी ना तो रामनिवास की ब्याता पत्नि है और ना ही हितेश रामनिवास का पुत्र है। राजरानी जाति से कुमावत है जो यादराम कुमावत, निवासी भरतपुर की पत्नि है और आज तक राजरानी का उसके पति यादराम कुमावत से तलाक नही हुआ है। ऐसी स्थिति में यह सम्भव नही है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामनिवास की पत्नि है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस संदर्भ में विस्तृत जांच ने करके अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से परे होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा अपना वोटर आई.डी. कार्ड, सहारा इंडिया की पासबुक, वार्ड मेम्बर का प्रमाण पत्र व सरपंच का प्रमाण पत्र व गवाह आदि प्रस्तुत किये है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में किसी भी दस्तावेज का विवेचन न करते हुए अपना निर्णय पारित किया है जो न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उन दस्तावेजात की सत्यता के बारे में भी कोई जांच इत्यादि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उन दस्तावेजात पर विश्वास किया जाना सम्भव

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

नहीं था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सारे तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि असल–रेस्पोडेन्ट का भगवान सहाय की विरासत से एवं रामनिवास की विरासत से कोई संबंध वास्ता व सरोकार किसी किस्म का नहीं है। असल–रेस्पोडेन्ट एक अजनबी व्यक्ति है जो रामनिवास की जायदाद को नाजायज हथकण्डे अपनाकर हड़प करना चाहते है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि ग्राम पंचायत ढाकपुरी का वारिस प्रमाण पत्र भी तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें सभी वार्ड पंचों की रिपोर्ट के आधार पर सरपंच द्वारा जारी किया गया। उसे भी तहत न्यायालय द्वारा न मानने का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया। जिससे भी तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरकरण संख्या 42 को कभी भी चुनौती नहीं दी और ना ही नामान्तरकरण संख्या 42 के विरूद्ध अपील न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की विचाराधीन नही थी तथा अपील के विचाराधीन रहते रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट का भगवान सहाय की विरासत एवं नामान्तरकरण संख्या 42 से कोई सम्बन्ध, वास्ता व सरोकार नहीं था। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट संख्या 1 के द्वारा आवेदन करने पर ही उसे मृतक भगवान सहाय का वारिस माना गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज तहत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि राजरानी, रामनिवास की पत्नी है। राजरानी ने अपने भाई माता–पिता व अन्य रिश्तेदारों के कोई शपथ पत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किये जो यह कह सके कि राजरानी का विवाह मृतक रामनिवास से हुआ था और मृतक रामनिवास के नुत्फे से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हितेश पैदा हुआ था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में भी कोई जांच नहीं की गई। जिससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को भगवान सहाय का वारिस मानने में अहम कानूनी गलती व भूल कारित की है जो काबिल गौर न्यायालय श्रीमान है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग हरित का स्थानान्तरण 04.08.2020 से पूर्व ही हो गया था लेकिन उन्होने बदनियतीपूर्वक अपीलाधीन निर्णय 04.08.2020 अपने स्थानान्तरण के पश्चात् पारित किया है जबकि कानून की मंशा के अनुसार पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण होने के बाद उन्हे निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए भी तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2020 न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर बाबत नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 29.05.1993 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सीमा तक निरस्त फरमाया जावें।

P.T.O.

स्थानीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के ससुर व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दादा भगवान सहाय का स्वर्गवास होने के उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 29.05.1993 का उनकी पत्नी केसर बेवा, भगवान सहाय व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पति/पिता श्री रामनिवास के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं अंकित कर दिया गया जिस आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पति/पिता के जीवनकाल से काबिज होकर उक्त विवादित भूमि का उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे थे तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 42 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.01.2013 से नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 29.05.1993 को निरस्त करते हुये प्रकरण नायब तहसीलदर मालाखडा को रिमाण्ड किया गया कि भरभूटा व भगवान सहाय के समस्त जायज वारिसान की जॉच कर नामान्तरकरण पुनः निर्णित करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि जिला कलक्टर अलवर के उक्त रिमाण्ड आदेश दिनांक 08.01.2013 की पालना में तहसीलदार मालाखेडा द्वारा विधि प्रक्रिया अपनाते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के ससुर/दादा. के विधिक वारिसान की जांच कर कानून की मंशा के अनुसार एवं उभयपक्ष की बहस व पक्षकारान द्वारा अपने अपने पक्ष में प्रस्तुत रिकार्ड व गवाहान के द्वारा दिये गये बयानातों का अवलोकन करने के पश्चात् मृतक भरभूटा उर्फ भगवान सहाय के वारिसान में पुत्री श्रीमती बिमला देवी व कान्ता देवी का नाम विरासत में दर्ज करते वक्त छोड़ दिया गया था जो वास्तविक रूप से मृतक भरभूटा उर्फ भगवान सहाय की वारिस है तथा मृतक रामनिवास के वारिसान में राजरानी शर्मा व तारा देवी दोनों ने मृतक रामनिवास की पत्नि होने के सबूत प्रस्तुत किये है तथा हितेश को राजरानी के गर्भ से रामनिवास का पुत्र होने के संबंध में स्कूल प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजात के आधार पर रामनिवास के दो पत्नि तथा एक पुत्र वारिस माना है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व गवाहान के शपथ पत्रों के अवलोकन पश्चात् मृतक भगवान सहाय उर्फ भरभूटा पुत्र रामधन के वारिसान जगदीश प्रसाद, रमेश चन्द, विजय कुमार पुत्रान व विमला देवी, कान्ता पुत्रियां स्व. भगवान सहाय उर्फ भरभूटा हिस्सा बराबर हिस्सा 5/6, तारा देवी, राजरानी पत्नियां रामनिवास हिस्सा बराबर हिस्सा 1/12, हितेश नाबालिंग पुत्र रामनिवास सरपरस्त माता राजरानी खुद हिस्सा 1/12 के अनुसार पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही कर प्रस्तुत करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी निरस्तनीय होने से अपील खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्अ संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि स्व. रामनिवास द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 से विवाह किया गया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व स्व. रामनिवास के मध्य स्थापित दाम्पत्य सम्बन्धों के फलस्वरूप ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का जन्म हुआ था जिसका जन्म प्रमाण पत्र भी

P.T.O.

राजस्वीय आयुक्त
जयपुर

रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर पालिका अलवार द्वारा जारी किया गया जिसमें रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के पिता के नाम के स्थान पर रामनिवास शर्मा एवं माता के नाम के स्थान पर राजरानी शर्मा अंकित किया हुआ है तथा उक्त प्रमाण पत्र को जारी करवाने के कार्यवाही भी स्व. श्री रामनिवास शर्मा द्वारा ही कर जारी करवाया गया है जिससे भी स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व. रामनिवास शर्मा की पत्नी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्व. रामनिवास शर्मा का जायन्दा पुत्र संतान है। जिसे स्पष्ट करने के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वोटर आई.डी कार्ड, सहारा इण्डिया की पास बुक, पंचायत का प्रमाण पत्र व सरपंच का प्रमाण पत्र व अपने गवाहान को प्रस्तुत कर अपने स्व. श्री रामनिवास के पत्नी व पुत्र होने के तथ्यों की भली प्रकार ताईद की गई थी तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के ससुर/दादा के विधिक वारिसान की मौके पर जाकर पूर्णतया जॉच पड़ताल करने के उपरान्त ही नामान्तरकरण जिला कलक्टर अलवर के आदेशों की पालना में ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने पति/पिता के स्वर्गवास के उपरान्त सभी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया गया है तथा पगड़ी का दस्तूर भी समाज बिरादरी व रिश्तेदारों–नातेदारों की उपस्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीया द्वारा न्यायालय श्रीमान् व अधीनस्थ न्यायायय के समक्ष उठाये गये आक्षेप पूर्णतया निराधार हो जाते है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा स्व. श्री रामनिवास शर्मा स्वयं की मृत्यु से पूर्व वैष्णोदेवी अपने आस–पड़ोसियों के साथ दर्शणार्थ गये थे जहॉ दिनांक 05.08.2010 को श्री रामनिवस शर्मा की ह्दय गति रुक जाने के कारण स्वर्गवास हो गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व आस–पडौसियों द्वारा ही उनका पोस्टमार्टम करवाया गया था तथा स्व. रामनिवास शर्मा की बॉडी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ही प्राप्त की गई जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये तथा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जम्मू एण्ड कश्मीर सरकार के विभाग द्वारा जारी किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि स्व. रामनिवास की मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधवा पैशन प्राप्त हो रही है जिसमें भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति का नाम रामनिवास दर्ज एवं अंकित है जो एक राजकीय दस्तावेज है जिस पर किसी प्रकार का कोई संदेह नही किया जा सकता। अतः लिखित बहस के समस्त तथ्यों के मद्देनजर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रकरण का विधिक एवं कानूनी तौर पर परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कानूनी गलती नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि स्व. रामनिवास भूमि विवादग्रस्त के खातेदार भरभूटा उर्फ भगवान सहाय का जाईन्दा पुत्र था तथा हस्तगत अपील में मूल रूप से स्व. रामनिवास की विरासत का ही विवाद है। अपील में जहॉ एक ओर अपीलार्थीया स्व. रामनिवास की पत्नी बताते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजरानी को स्व. रामनिवास की तथाकथित पत्नी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को स्व. रामनिवास का तथाकथित पुत्र बता रही है, वही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 आपने आप को भी स्व. रामनिवास की पत्नी व पुत्र कथन कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि स्व. रामनिवास के दो पत्नीयॉ अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं एक पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 है। स्व. रामनिवास का अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, दोनों के साथ विवाह करना, दो विवाह करना वैद्य है अथवा नही इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विनिश्चयन करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही है। इसके लिये तो अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिये अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वतंत्र है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि विवादग्रस्त के मृतक खातेदार भरभूटा उर्फ भगवान सहाय के कुल 6 वारिस मानते हुए तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 का हिस्सा 5/6 एवं अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मृतक खातेदार भगवान सहाय के स्व. पुत्र रामनिवास का वारिस मानते हुए अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा 1/12–1/12 दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रृटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलार्थीया खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2020 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.10.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर